

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

22 / 2023

20.06.2023

नरेश पुत्र छोगा जाति बंजारा निवासी बिलासपुर, बिशिनया तहसील कोटडी जिला भीलवाडा राज०

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक टोंक राज०

—विपक्षी

एफ.आई.आर. नम्बर 84 / 2023 पुलिस थाना सदर जिला टोंक अपराध अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 8, राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11(डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिक अप संख्या आर जे 51 जी ए 2023

उपस्थिति : (1) श्री कैलाश प्रसाद शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी
(2) परोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 27.07.2023

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि पुलिस थाना सदर जिला टोंक ने दिनांक 06.03.2023 को वाहन नम्बर आर.जे-51 जी ए 2023 पिकअप में 4 नर अवैध गोवंश (सांड) परिवहन करने पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध पाये जाने पर वाहन जप्त कर गोवंश को दूधिया बालाजी गौशाला टोंक में संरक्षित रखवाने हेतु सुपुर्दगी में दिये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी ने व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र वाहन सुपुर्दगी हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रकरण से सम्बन्धित पुलिस थाना सदर जिला टोंक से केस डायरी तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक प्रार्थी एवं परोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्त ने दोराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पुलिस थाना सदर जिला टोंक ने दिनांक 06.03.2023 को वाहन नम्बर आर.जे.-51 जी ए 2023 पिकअप में 4 अवैध गोवंश (सांड) परिवहन करने पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध पाये जाने पर वाहन जप्त किया है वाहन थाने में खुले स्थान पर खडा हुआ है, जिससे वाहन के ट्यूब, टायर आदि के खराब होने व रंग रोगन व इंजन में परिवर्तन आने की पूर्ण संभावना है। वाहन के पुलिस में जप्त रहने से प्रार्थी को अपार आर्थिक क्षति हो रही है। पुलिस तफतीश पूर्ण हो चुकी है, प्रार्थी जब्त शुदा वाहन का स्वामी है, जो जब्तशुदा उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी को उक्त वाहन को अपनी



जिला कलेक्टर
टोंक

नरेश पुत्र छोगा जाति गाडिया लूहार अग्र

सुपुर्दगी में लेने का अधिकार प्राप्त है। अतः जप्त शुदा वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बैलो (बछड़ों) को विधिवत रूप से कय नहीं कर पिक अप में अव्यवस्थित रूप से क्षमता से अधिक ले जाया जा रहा था। बछड़ों को थानाधिकारी सदर जिला टोंक द्वारा वाहन नम्बर आर.जे.-51 जी ए 2023 पिकअप गोवंश परिवहन करने पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध पाये जाने पर जप्त किया गया है। वाहन से धारा 5,6,8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशुओं के प्रति कूरता निवारण अधिनियम का अपराध कारित होना एवं राजस्थान गोवंशीय अधिनियम 1995 में हुए अधिनियम में संशोधन अधिनियम 2018(2019 अधिनियम सं.25) की धारा 6 क यह कहती है कि कभी भी इस अधिनियम के दण्डनीय अपराध किया जावे तो ऐसा अपनाध करने के लिए उपयोग में लाया गया प्रवहण का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वहीन होगा और अभिगृहीत वाहन को सुपुर्दगी में दिया जाना न्यायोचित नहीं माना है। इस कारण भी प्रार्थी सुपुर्दगार का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा व खर्चा खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने अभिभाषक प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अध्ययन किया। वाहन आर.जे.-51 जी ए 2023 पिकअप राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम में जप्त किया गया है। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) (संशोधन) अधिनियम 2018 (2019 का अधिनियम संख्यांक 25) की धारा 6-क इस प्रकार है-


धारा 6-क प्रवहण के साधन का अधिहरण-

(1) जब कभी भी इस अधिनियम के दण्डनीय अपराध किय जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहण का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा।

(2) जहां उप धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण का कोई भी साधन इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने के संबंध में अभिगृहीत किया जाता है तो वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट, अभिगृहीत करने वाले व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी को अयुक्तियुक्त विलम्ब के बिना की जायेगी और ऐसे अपराध के लिये चाहे अभियोजन संस्थित किये जाये या नहीं, उस क्षेत्र पर जहां प्रवहण का उक्त साधन अधिगृहीत किया गया था, अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी यदि उसका समाधान हो जाये कि प्रवहण का उक्त साधन इस अधिनियम के अधीन अपराध करने के लिये उपयोग में लिया गया था, प्रवहण के उक्त साधन के अधिहरण कर सकेगा:

परन्तु प्रवहण के उक्त साधन के अधिहरण का आदेश करने से पूर्व प्रवहण के उक्त साधन के स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा, और यदि ऐसा स्वामी सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कोई भी कारण नहीं था कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किये जाने के संभावना है और उसने ऐसे किसी अपराध को किये जाने को निवारित किये जाने में सम्यक् सावधानी बरती थी तो सक्षम प्राधिकारी प्रवहण के उक्त साधन का अधिहरण नहीं करेगा:




जिला कलेक्टर
टोंक

परन्तु यह और कि जहां प्रवहण का ऐसा साधन केन्द्रीय सरकार या किसी अधिकारी द्वारा कोई आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जायेगा और सक्षम सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, प्रवहण के साधन के बारे में ऐसे आदेश करने के लिए राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जैसाकि राज्य सरकार उचित समझे:

धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के साधन के स्वामी को अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने का विकल्प दिया जा सकेगा:

परन्तु यह भी कि प्रवहण के साधन के स्वामी को पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन विकल्प नहीं दिया जायेगा, यदि उसे किसी पूर्व अवसर पर उस परन्तुक के अधीन विकल्प दिया जा चुका है।

(3) जब कभी भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के किसी साधन का इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के संबंध में अभिग्रहण किया जाता है, तब प्रवहण के ऐसे साधन के कब्जे, परिदान, व्ययन या निर्मुक्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को आदेश करने की अधिकारिता होगी, और तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, किसी न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को उक्त अधिकारिता नहीं होगी।

(4) जहां सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि लोक हित में या उसके स्वामी के फायदे के लिये यह समीचीन है दकि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने के लिए अभिगृहित, उप धारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रवहण के साधन का सार्वजनिक नीलाम से विक्रय किया जाये तो वह किसी भी समय उसका विक्रय किये जाने का निर्देश दे सकेगा।

(5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी अधिहरण आदेश, ऐसे किसी भी दण्ड के दिये जाने को निवारित नहीं करेगा जिसका, उससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायित्वधीन है"।

प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त अभिभाषक का यह भी कथन रहा है कि प्रार्थी के उक्त वाहन का तथाकथित आरोपित अपराध से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी के वाहन को पुलिस ने प्रकरण में गलत रूप से जब्त किया है। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला टोंक ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 26.06.2023 में जप्तशुदा वाहन पिक अप नम्बर आर.जे.-51 जी ए 2023 के संबंध में तकमिली कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है का उल्लेख किया है। अतः प्रार्थी का वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में विधिक प्रावधानों के मध्यनजर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला टोंक द्वारा जप्त वाहन आर.जे.-51 जी ए 2023 पिकअप को इस शर्त पर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश दिये जाते है कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन के जुर्माने के रूप में 25000/रूपये (पच्चीस हजार रूपये) राजकोष में जमा करवाकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल दस्तावेज थानाधिकारी सदर को प्रस्तुत कर दें, तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दे दिया जावे। थानाधिकारी सदर को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक